| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | आई आर डी पी /ट्राईसेम | |
| | स्व-रोजगार/प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम का बेहतर उपयोग । | स्थानीय विशेष व्यवसायों/धंधों को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों के लिए राज्य सरकारों को जिला वार योजना से तैयार करनी है। आंध्र प्रदेश, हरियाणा, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश द्वारा कार्य योजनायें पहले ही तयार की जा चुकी हैं । |
| | **ऋण सहायता ।** | |
| | अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में ऋण की उपलब्धता के लिए कार्यक्रम । | मार्च, 1991 तक अल्पसंख्यक बाहुल्य जिलों में 213 शाखा खोली गई 198 अतिरिक्त केन्द्रों का निर्धारण किया गया। |
| **सूत्र सं० 15 और 16** | | |
| शिकायतों का समाधान, वक्फ आदि पर अधिक्रमण को हटाना। | वक्फ संपत्तियों/कब्रिस्तानों आदि पर अतिक्रमणों से संबंधित शिकायतों संबंधी समस्याओं से निपटने, शिकायतों को दूर करने के लिए शीघ्र और संतोषजनक आधार पर उपाय करना । | इस संबंध में राज्य सरकारों को समय-समय पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं । |

**अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा आबंटित धनराशि का पूरी तरह से उपयोग न करना**

480. **श्री अजीत जोगी :**
**कुमारी आलिया :**

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति विकास निगम के लिए स्वीकृत धनराशि का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्वीकृत धनराशि का पूरी तरह से प्रयोग न किए जाने के क्या कारण हैं?

**कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी)** (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

**मध्य प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए संस्थान**

481. **श्री अजीत जोगी :**
**कुमारी आलिया :**

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए कितने संस्थान कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या इस राज्य के आकार को ध्यान में रखते हुए सरकार की वह ऐसे और संस्थान खोलने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) मध्य प्रदेश में विकलांगों के लिए भारत सरकार द्वारा कोई संस्थान स्थापित नहीं किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता

(घ) देश के चार भागों में विकलांगों के चार प्रमुख क्षेत्रों में राष्ट्रीय संस्थान पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं।

**Setting up of a National backward classes finance and development Corporation**

482. DR. BAPU KALDATE:
SHRIMATI KAMLA SINHA:

Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up a National Backward Classes Finance and Development Corporation for the benefit of the backward classes; and

(b) if so, what are the details thereof, including the objectives and the manner in Which the proposed corporation is likely to promote the economic and development activities of the backward classes?

THE MINISTER Of WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): (a) The Government of India have decided to set up a National Backward Classes Finance & Development Corporation with an authorised capital of Rs. 200.00 Crores to be registered as a company under the Companies Act, 1956.

(b) The main objections of the Corporation are as under:

(i) to promote economic and developmental activities for the benefit of backward classes;

(ii) to assist, subject to such income and/or economic criteria as may be prescribed by the Government from time to time, individuals or groups of individuals belonging to backward classes by way of loans and advances for economically and financially viable schemes and projects;

(iii) to promote self-employment and other ventures for the benefit of backward classes;

(iv) to grant concessional finances in selected cases for persons belonging to Backward Classes below the poverty line in the country in collaboration with Government/ Ministries\Deptts. at the National and State level to the extent of the budgetary assistance granted by the Government of India to the company;

(v) to extend loans for pursuing general/professional[technical education or training at graduate and higher levels;

(vi) to assist in the upgradation of technical and entrepreneurial skills of Backward Classes for proper and efficient management of production units;

(vii) to assist the State level organisations to deal with the development of backward classes by way of providing financial assistance and in obtaining commercial funding by way of refinancing;